संख्या-01/2016/6308/नौ-5-15-81बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, टूण्डला,
जनपद-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2016

विषय:-मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, टूण्डला जनपद-फिरोजाबद में जल निकासी के कार्यो हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांकरहित पत्र तथा शासनादेश संख्या-100/2015/1986/ नौ-5-15-81बजट/15, दिनांक 27 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, टूण्डला जनपद-फिरोजाबद में जल निकासी के कार्यो हेतु 25 विभिन्न नालों के निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 517.34 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि ₹ 258.69 लाख (रू0 दो करोड़ अठ्ठावन लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय किश्त/ आगामी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	फिरोजाबाद	नगर पालिका परिषद्, टूण्डला	100/2015/1986/ नौ-5-15-81बजट/15, दिनांक 27 मार्च, 2015	517.34	258.65	258.69
			योग			**258.69**

(₹ दो करोड़ अठ्ठावन लाख उन्हत्तर हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित

शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) शासनादेश संख्या-100/2015/1986/नौ-5-15-81बजट/15, दिनांक 27 मार्च, 2015, जिसके द्वारा सन्दर्भित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक ***"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-01/2016/6308 (1)/नौ-5-15-81बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा।
3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4- कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) अनुभाग-3
10- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, टूण्डला।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-04/01/2016

प्रेषण संख्या:- 01

आवंटन आदेश संख्या:- 001-01-2016-6308-9-5-15-81B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25869000 39570000	25869000 39570000
	योग	वर्तमान प्रगामी	25869000 39570000	25869000 39570000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ अट्ठावन लाख उनहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पंचानवे लाख सत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी